न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

वाद संख्याः– 24 सन् 2020 दायरा दिनांकः– 5/2/2020

मदननाथ पुत्र मूलनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. मूलनाथ पुत्र रूपनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
2. शांति देवी पत्नि बुधनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
3. अमरनाथ पुत्र बुधनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
4. ओमनाथ पुत्र बुधनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
5. शिवनाथ पुत्र बुधनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
6. पुजा पुत्री बुधनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
7. प्रमेश्वरी पुत्री बुधनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
8. बुली पुत्री बुधनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
9. भगवानी पुत्री बुधनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
10. मुन्नी पुत्री बुधनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
11. तुलछा पत्नि मांगुनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
12. भंवरनाथ पुत्र मांगुनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
13. हडमाननाथ पुत्र आसनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
14. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कातर छोटी
15. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बीदासर
16. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुजानगढ जिला चूरू
17. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

18. हुकमनाथ पुत्र मूलनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू

गौण प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:03:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

दावा घोषणात्मक, संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा डिग्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

श्री मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी

श्री गौतम सेनी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 व गौण प्रतिवादी संख्या 18

–: निर्णय :–

दिनांकः–15.07.2020

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है :– कि वादी व गौण प्रतिवादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक के पिता रूपनाथ के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 305 तीन सौ पांच तादादी 12.8867 बारह दसमलव आठ हजार आठ सौ सडसठ हेक्टेयर, खसरा संख्या 307 तीन सौ सात तादादी 4.2998 चार दसमलव दौ हजार नौ सौ अठानवे हेक्टेयर, खसरा संख्या 308 तीन सौ आठ तादादी 4.2619 चार दसमलव दौ हजार छः सौ उन्नीस हेक्टेयर, खसरा संख्या 332 तीन सौ बतीस तादादी 1.5176 एक दसमलव पांच हजार एक सौ छिहतर हेक्टेयर, खसरा संख्या 349 तीन सौ उनचास तादादी 8.3340 आठ दसमलव तीन हजार तीन सौ चालीस हेक्टेयर कुल किता 5 पांच कुल रकबा 31.3000 इकतीस दसमलव तीन हेक्टेयर वाके रोही उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है, जो वादी के दादा रूपनाथ के वक्त से पुश्तैनी व पैत्रिक सम्पति है। वादी के दादा रूपनाथ का स्वर्गवास होने के बाद वादगत भूमि में उनकी हिस्सा भूमि की खातेदारी उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 एक मूलनाथ के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित हुई। प्रतिवादी संख्या 1 एक कर्ता खानदान होने के कारण रूपनाथ के स्वर्गवास के बाद वादगत खेतों की खातेदारी अपने अकेले के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित करायी। वादगत खेत वादी एवं गौण प्रतिवादी के संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैत्रिक कोपार्सनरी सम्पति के है। वादगत खेत प्रतिवादी संख्या 1 एक के स्व अर्जित खेत न होकर पैत्रिक सम्पति के खेत है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत पैत्रिक सम्पति में पौत्र का जन्म से ही हक हिस्सा कायम हो जाता है। इसलिए वादगत खेतों में वादी का 1/6 एक बट्टा छः हिस्सा जन्म लेते ही कायम हो गया। वादगत खेतों की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 एक ने अपने अकेले के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित करायी जो वादी के मुकाबले शुन्य है। घोषित किया जावे कि वादगत खेतों का वर्तमान राजस्व रेकार्ड वादी के मुकाबले शुन्य है तथा वादी वादगत खेतों में 1/6 एक बट्टा छः हिस्सा का खातेदार कृषक है। वादी के दादा रूपनाथ के स्वर्गवास के बाद वादगत खेतों में प्रतिवादी संख्या 1 एक के 1/2 एक बट्टा दौ हिस्सा में वादी का 1/6 एक बट्टा छः हिस्सा नियत हो गया। प्रतिवादी संख्या 1 एक ने वादगत खेतों की खातेदारी में अपना 1/2 एक बट्टा दौ हिस्सा [illegible] दर्ज कराया जो गलत रूप से दर्ज कराया। प्रतिवादी संख्या 1 एक के नाम वादगत [illegible] खातेदारी को संशोधन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:03:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

... वादी के नाम 1/6 एक बट्टा छः हिस्सा, गौण प्रतिवादी के नाम 1/6 एक बट्टा छः हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक के नाम 1/6 एक बट्टा छः हिस्सा की खातेदारी कर राजस्व रेकार्ड में संशोधन फरमाया जावे। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 एक से दिनांक 1.2.2020 को मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेतों की खातेदारी में संशोधन करवाकर संयुक्त खातेदारी भूमि का संशोधन कराये परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 एक ने साफ इन्कार कर दिया ओर वादी को ऐलानीया तौर पर धमकियां दी की वोह वादी के हिस्से पांति के खेतों से जबरन बलपूर्वक बेदखल करके कब्जा स्वंय करेगा या किसी अन्य का करायेगा। इस दोषपूर्ण कृत्य में प्रतिवादी संख्या 1 एक सफल हो गया तो वादी को अपने हिस्से की खातेदारी भूमि से वंचित होना पडेगा जिसकी वादी को अपूर्तिय क्षति होगी जिसकी पूर्ती किसी भी सुरत में पूर्ण नहीं हो पायेगी। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 एक को जरीये चिर निषेधाज्ञा द्धारा पाबन्द फरमाया जावे कि वादगत भूमि का राजस्व रेकार्ड में जब तक विधिवत संशोधन नहीं हो जाता तब तक वादगत भूमि के किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन बैय आदि नहीं करें ओर ना ही वादी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बलपूर्वक बेदखल कर कब्जा स्वंय करे या किसी अन्य का कराये। ना ही वादी को उसके हिस्से की भूमि को काश्त करने में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटे आदि पैदा स्वयं करे या किसी अन्य से कराये जिससे वादी के वैध कानूनी अधिकारों के विपरीत असर पडे। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी एवं पैत्रिक सम्पति के खेत है एवं कब्जा काश्त में होने से वादी को वादाधार वाद प्राप्त है तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक द्धारा ऐलानियां धमकियां देने से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। वादी के साथ गौण प्रतिवादी का हित समान रूप से नियत है। गौण प्रतिवादी वर्तमान में गांव से बाहर होने के कारण उन्हें वाद में वादी के रूप में पक्षकार संयोजित नहीं किया जा सका ओर कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए उसे वाद में गौण प्रतिवादी के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। घोषणात्मक वाद में राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है। राजस्थान सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एंव प्रतिवादी संख्या 1 द्धारा वादी को जबरन बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां दिये जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है इसलिए राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव [illegible] पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर [illegible] दावा पेश किया जा रहा है। वाद वादी घोषणात्मक, रेकार्ड संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा [illegible] है। वादगत खेत रोही उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:03:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

एव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व गौण प्रतिवादी संख्या 18 की तरफ से राजीनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 16 बावजुद तामिल उपस्थित नहीं हुए, इस कारण प्रतिवादी संख्या 2 ता 16 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पेरोकार राज की तरफ से प्रतिवादी संख्या 17 ने दावा में राजहित नहीं होना अंकित किया है। दावा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से राजीनामा पेश करने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी ने वाद के समर्थन में वादगत भूमि का मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2028, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2002 व 2028, जमाबंदी संवत 2075–2078 की प्रमाणित प्रतियां पेश की। जिससे साबित होता है कि वादगत भूमि पुस्तेनी है। पक्षकारान् द्वारा राजीनामा पेश करने पर तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही रही ओर इसी कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। राजीनामा में वादी की पहचान श्री मनोज गोदारा एडवोकेट द्वारा व प्रतिवादी संख्या 1 व गौण प्रतिवादी संख्या 18 की पहचान श्री गौतम सेनी एडवोकेट द्वारा की गई। राजीनामा को पक्षकारान् को पढकर सुनाया व समझाया गया तो पक्षकारान् ने राजीनामा का निष्पादन करना व सही होना स्वीकार किया तथा राजीनामा के अनुसार अपने दावा को डिक्री करने का निवेदन किया।

बहस वकुलान की सुनी गई। वकुलान ने भी अपनी बहस में दावा को राजीनामा के अनुसार निर्णित करने का निवेदन किया। वकुलान की बहस व दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर सिद्ध होता है कि वादगत भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व गौण प्रतिवादी संख्या 18 की पुस्तैनी भूमि है ओर पुस्तेनी भूमि में वादी का हित नियत है। किसी भी पक्षकार द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया। पक्षकारों के बीच हुए राजीनामा का अवलोकन किया गया। पक्षकारों के बीच हुए राजीनामा पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। पक्षकारों के बीच किया गया राजीनामा विधि के प्रावधानों के विपरीत अथवा किसी लोक निति के विपरीत नहीं है। धारा 89 सीपीसी के तहत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक न्यायालय यह प्रयास करेगा कि विवाद को उभयपक्ष की सहमति से तथा समझाईस से निर्णित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। प्रकरण हाजा में वादी की ओर से वादगत भूमि उनके संयुक्त हिन्दु परिवार की कोपार्सनरी सम्पति होना तथा वादगत भूमि वादी के दादा रूपनाथ के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी भली भांति जाहिर होता है कि वादगत भूमि ... की पुस्तैनी भूमि है जो पहले वादी के दादा रूपनाथ के खातेदारी अधिकार की थी। ... के बाद वादगत भूमि प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:03:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

के नाम दर्ज हुई। पक्षकारों के आपस में वाद के किसी तथ्यों को लेकर कोई विवाद ना हो तथा पक्षकारों के मध्य सांमजस्य की भावना बनी रहे व वाद पत्र की प्रकृति को देखते हुए वादी का वाद राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर पक्षकारों का वाद डिक्री योग्य होने से स्वीकार कर राजीनामा अनुसार इस प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही ग्राम उंटालड के खसरा संख्या 332 तादादी 1.5176 हेक्टेयर भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 मूलनाथ पुत्र रूपनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू के नाम यथावत रखी जावे तथा खसरा संख्या 305 तादादी 12.8867 हेक्टेयर, खसरा संख्या 307 तादादी 4.2998 हेक्टेयर, खसरा संख्या 308 तादादी 4.2619 हेक्टेयर, खसरा संख्या 349 तादादी 8.3340 हेक्टेयर भूमि कुल किता 4 कुल रकबा 29.7824 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मूलनाथ पुत्र रूपनाथ के नाम की 1/2 हिस्सा भूमि सम्पूर्ण वादी मदननाथ पुत्र मूलनाथ जाति सिद्ध निवासी उंटालड व गौण प्रतिवादी संख्या 18 हुकमनाथ पुत्र मूलनाथ जाति सिद्ध निवासी उंटालड के नाम ब.हि.ब. खातेदारी में दर्ज की जावे। शेष प्रतिवादीगणों की हिस्सा भूमि यथावत रखी जावे। उपरोक्तानुसार खातेदारी दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् स्वंय वहन करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:03:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner